

11.09.2020

मानिनाषकाण उनेपपक्रकारान् उपस्थित।
 साक्ष्यवादी ने PW-1 सुरेन्द्र के बयान लेखा
 मायुक्त की भागीर मनी द्वारा लेखवद्ध किये
 गये। भावीवक्ता प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने फर्दी
 शुल्की दस्तवेज के साथ (15) दिन दस्तावेजात
 प्रस्तुत किये। चामेल पत्रावली रहे। कास्ट राशि
 दिलवाई गई। भावीवक्ता वादी ने साक्ष्य देते
 अवसर चाहा। न्यायादिवस में मंतिम अवसर के रूप
 में इस शर्त पर उदात किया जा रहा है कि भागी
 पेची पर अपनी सम्पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत कर तथा
 निमत पेची से 3 दिन पूर्व समस्त गवाहों के
 शपथपत्र तत्काल विपक्षी को देले दिये प्रस्तुत करें।
 पत्राण वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक 24-09-2020

पीठासीन अधिकारी के छोटे हस्ताक्षर सहित आदेश

कोपेय है

✓

जिला न्यायाधीश
नाथोपुर